तारीख हुक्म	राजस्व अपील संख्या 04ए/2019 कल्याणसिंह बनाम हडमतसिंह वगैरह हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/12/2022	अधिवक्ता अपीलाण्ट उपस्थित। हस्तगत प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट अधिवक्ता द्वारा उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जेर अन्तरिम आदेश दिनांक 26.03.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रकरण से संबधित मूल निर्णय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित/विचाराधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र संख्या 12/2019 हडमतसिंह वगैरा बनाम जगतसिंह वगैरा मे पक्षकारो का सुनवाई के पश्चात निर्णीत होगा। उक्त न्यायिक मंशा का मद्नजर रखते हुए प्रकरण मे अपीलांट अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मे वर्णित तथ्यो पर बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 10 द्वारा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 11 लगायत 39 के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी के संबंध मे प्रस्तुत कर विभाजन कराने का निवेदन किया एवं साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 14 से 23 के विरूद्ध जैर अपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत प्रभावित पक्षकार की तामिल नहीं हुई। वादग्रस्त आराजी मौके पर समस्त पक्षकारान के मध्य पूर्वजो के समय से बंटी हुई है एवं सभी अपने-अपने हिस्से अनुसार खेती कर अपने एवं अपने परिवार का पालन-पोषण करते है। अपीलांट द्वारा खसरा संख्या 140 की आराजी पर अपने स्वंय के खर्चे से कुंआ खुदवाया है एवं विघुत कनेक्शन लिया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना सहखातेदार के विरूद्ध जैर अपील अंतरिम आदेश पारित किया है जबकि कानूनन सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यो को नजरअंदाज करते हुए समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

अपीलांट अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 10 द्वारा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 11 लगायत 39 के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी के संबंध मे प्रस्तुत कर विभाजन कराने का निवेदन किया एवं साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील अन्तरिम आदेश पारित किया है। प्रकरण से संबधित मूल निर्णय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मूल प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत होगा। ऐसी परिस्थितियो मे प्रकरण के इस स्तर पर हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी के संबध मे गुणवागुण पर किसी प्रकार का तर्क दिया जाना उचित नहीं है।

इसके अतिरिक्त हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील अन्तरिम व्यादेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित करने के सम्बन्ध में जो प्रावधान दिए गए है, उनमे मुख्य रूप से आदेश 39 नियम 1 से 4 मुख्य है, जहां तक आदेश 39 नियम 3 सीपीसी का प्रश्न है, इस संबंध में आदेश 39 नियम 3 सी पी सी का उद्धरण इस प्रकार है–

आदेश 39 नियम 3

3. *Before granting injuction, Court to direct notice to opposite party-*

The Court shall in all cases except where it appears that the object of granting the injunction would be defeated by the delay, before granting an injunction direct notice of the application

for the same to given to be the opposite party

Provided that, where it is proposed to grant an injunction without giving notice of the application to the opposite party, the court shall record the reasons for its opinion that the object of

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

granting the injunction would be defeated by dealy, and require the applicant-

(A) to deliver to the opposite party, or to send to him by registered post, immediately after the order granting the injunction has been made, a copy of the application for injunction together with-

1. *a copy of the affidavit filed in support of the application.*
2. *a copy of the plaint and*
3. *copies of doucments on which the applicant relies, and*

(b) to file, on the day on which such in such injunction is granted or on the day immediately following that day, and affidavit stating that the copies aforesaid have been so delivered sent.

आदेश 39 नियम 3(क) सी.पी.सी में प्रावधित किया है कि " 3-A Court to disposed application for injunction within thirty days-- Where an injunction has been granted without giving notice to the opposite party, the court shall make an endeavour to the finally dispose of the application within thirty days from the date on which injuntion was granted; and where it is unable so to do, it shall record the reason its reasons for such inability" इस प्रकार यह स्पष्ट है कि, जहॉ अस्थाई निषेधाज्ञा विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना जारी की गई तो न्यायालय द्वारा 30 दिन के भीतर निपटारा किया जाने का प्रयास किया जाना चाहिए, यदि ऐसा करने में असमर्थ है, तो असमर्थता के कारणो को अभिलेखित करना चाहिए।

उपरोक्त कानून के सन्दर्भ में हस्तगत प्रकरण का परीक्षण करने पर यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो जैर अपील आदेश पारित किया गया है, उक्त आदेश अंतरिम आदेश है। विधि अनुसार जहां एकपक्षीय रूप से अन्तरिम स्थगन आदेश पारित किया जाता है, ऐसे मामलो को न्यायालय द्वारा 30 दिवस के भीतर निपटारा किया जाने का प्रयास किया जाना चाहिए, यदि ऐसा करने में असमर्थ है, तो असमर्थता के कारणो को अभिलेखित करना चाहिए। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 14

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

से 23 के विरूद्ध भी एकपक्षीय अंतरिम आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण मे पेशी दिनांक 23.07.2019 तक पत्रावली में तलबी भी पूर्ण नहीं हुई। सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधानुसार एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण का 30 दिवस में निस्तारण किये जाने का विधिसम्मत कारण भी पत्रावली की आदेशिकाओ में अंकित नही है। हाजा न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश के चलते अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मूल प्रकरण का लगभग 03 वर्षो से अंतिम निस्तारण नहीं किये जाने से हितबद्ध पक्षकारो को कई प्रकार की परेशानियो का सामना करना पड रहा है। जो कि न्यायोचित नहीं है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। एवं सहायक कलक्टर सिरोही द्वारा विविध प्रार्थना पत्र संख्या 12/2019 बउनवान हडमतसिंह वगैरा बनाम जगतसिंह वगैरा मे पारित आदेश दिनांक 26.03.2019 को यथावत जाता है। चूंकि प्रकरण में निहित कानूनी बिन्दुओ की पालना करवाई जानी आवश्यक है, तद्नुसार सहायक कलक्टर सिरोही को निर्देशित किया जाता है कि आपके न्यायालय मे प्रकरण से संबधित विचाराधीन मूल विविध प्रार्थना पत्र संख्या 12/2019 बउनवान हडमतसिंह वगैरा बनाम जगतसिंह वगैरा के अन्तर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 39 नियम 3(क) के प्रावधानो की पालना करते हुए उभयपक्षो को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए 30 दिवस के भीतर विधिसम्मत आदेश पारित करे। उक्त आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही